प्रेस नोट **दिनांक 06.11.2020**

सराहनीय कार्य जनपद बागपत

आधार इनेबल पेमेन्ट सिस्टम (AEPS) में फिंगरप्रिन्ट क्लोनिंग फ्रोड के माध्यम से सेंधमारी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 05 सदस्य गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण :–

दिनांक 04.11. 2020 को वादी श्री शिवकुमार पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम वसा टीकरी थाना बागपत की लिखित सूचना दी कि नितिन पुत्र टीटू व राहुल पुत्र नत्थी ने नौकरी लगवाने के नाम पर धोखे से उसके आधार कार्ड की छायाप्रति व अंगूठा निशानी कुछ दिनों पहले ले लिए थे और उसके कुछ दिनों बाद ही थोड़े–थोड़े करके उसके खाते से लगभग एक लाख चालीस हजार रूपये निकल गए जिनका उसको कुछ पता नहीं है। इस सूचना पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0स0 826/2020 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट में पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को नाम व पता :–

1–नितिन पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम वसा टीकरी थाना बागपत।

2–विकास पुत्र नत्थी सिंह निवासी ग्राम वसा टीकरी थाना बागपत।

3–वाजिद पुत्र सलीम निवासी गण ग्राम वसा टीकरी थाना बागपत।

4–मौ0 उमर पुत्र रहीस अहमद निवासी महमूदपुर माफी मुरादाबाद। **(सरगना)**

5–पराग गर्ग पुत्र विनोद कुमार निवासी मौ0 ठेर सम्भल।

बरामदगी का विवरण :–

1–फर्जी अंगुठा निषानी कागज व उसका क्लोन,

2–घटना में संलिप्त लैपटाप,

3–अंगुठा निषानी तैयार करने की मषीन,

4–मोबाईल फोन,

5–बटर पेपर, सैलो टेप

6–तरल पदार्थ की बोतल, प्लास्टिक सीट

7–6900 रूपये,

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही :–

पुलिस अधीक्षक जनपद बागपत द्वारा उक्त प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए साईबर सैल टीम व थाना कोतवाली बागपत को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। उक्त प्रकरण में साईबर सैल टीम व थाना कोतवाली बागपत द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त 1–नितिन पुत्र वीरपाल 2–विकास पुत्र नत्थी सिंह 3–वाजिद पुत्र सलीम निवासी गण ग्राम वसा टीकरी थाना बागपत 4–मौ0 उमर पुत्र रहीस अहमद निवासी महमूदपुर माफी मुरादाबाद 5–पराग गर्ग पुत्र विनोद कुमार निवासी मौ0 ठेर सम्भल का नाम प्रकाश में आया। उक्त क्रम में दिनांक–05.11.2020 को साईबर टीम व थाना बागपत पुलिस द्वारा ग्राम वसा टीकरी से अभियुक्त **1–नितिन** पुत्र वीरपाल **2–विकास** पुत्र नत्थी सिंह **3–वाजिद** पुत्र सलीम निवासी गण ग्राम वसा टीकरी थाना बागपत को व मीतली से ग्राम वसा टीकरी आने वाले रास्ते से **4–मौ0 उमर** पुत्र रहीस अहमद निवासी महमूदपुर माफी मुरादाबाद **5–पराग गर्ग** पुत्र विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से फर्जी अंगुठा निषानी कागज व उसका क्लोन, घटना में संलिप्त लैपटाप, अंगुठा निषानी तैयार करने की मषीन, मोबाईल फोन, बटर पेपर, सैलो टेप, तरल पदार्थ की बोतल, प्लास्टिक सीट व 6900 रूपये नगद बरामद किये गये।

पूछताछ पर प्रकाष में आये तथ्य :–

अभियुक्त नितिन व विकास ने पूछताछ पर बताया कि वाजिद के कहने पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर भोले–भाले लोगो से उनका आधार कार्ड व कोरे कागज पर अंगुठा निषानी ले लेते थे। इस काम के लिए वाजिद से हमें 3000 रूपये प्रति मिलता था। बरामदा नकली अंगुष्ठछाप मशीन व तरल पदार्थ बोतल के बारे में पूछने पर बताया कि कुछ दिनों पहले वाजिद ने ही यह मशीन मेरे घर पर रखवायी थी और आज उसके कुछ अन्य साथी इस काम की सिखलाई के लिए आने वाले है। जिससे यह धोखाधड़ी का काम हम यही पर शुरू कर सकें।

2– **अभियुक्त वाजिद** ने पूछताछ पर बताया कि अभी **25 अक्टूबर** को वह उमर से दिल्ली में मिला था जहां पर उमर ने उसे 5000 रूपये मुनाफे मे से दिए थे। तथा नकली अंगुष्ठछाप मशीन दिल्ली चोर बाजार से ली थी और विकास के घर पर रखवाई थी। इन आधार कार्डो की छायप्रति व अंगुठा निषानी को स्कैन करके 600 DBI में जिससे साफ दिखाई पड़ सके। किसी भी साईबर कैफे के माध्यम से उमर की जीमेल आईडी–goldmedia334@gmail.com पर मेज देता था। उसके आगे का कार्य उमर ही जानता है। जो आज हमें सीखना था।

3– **अभियुक्त उमर** ने पूछताछ पर बताया कि यह कार्य हम लगभग 01 वर्ष से कर रहे है। इसमें फेसबुक पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रचार डालते हैं, जहां से उनका फोन नंबर लेकर **आधार इनेबल पेमेन्ट सिस्टम (AEPS)** पर आईडी बनवाई जाती हैं। जिसका यूजर आईडी और पासवर्ड सर्वर से ही मिलता है, जिसकी 500 व 1000 रूपये फीस लगती है। डिस्ट्रीब्यूटर जिस भी राज्य या शहर का होता है आईडी भी वही की होती हैं। वाजिद से लिये गये आधार कार्ड व अंगूठा निशानी को पराग को दे देता हूं। वह इससे नकली अंगुठा निषानी तैयार कर देता है तथा मैं इस अंगूठा निशानी को स्कैनिंग मशीन पर लगाकर संबंधित के खाते से रुपए **आधार इनेबल पेमेन्ट सिस्टम (AEPS)** आईडी में स्थानांतरित कर लेता हूं और बाद में अपनी इस आईडी से किसी भी अन्य ई–वॉलेट अकाउन्ट में डाल देता हूं तथा किसी भी रिटेलेर षॉप से जाकर कैष निकाल लेता हूं जिसका प्रति ट्रांजक्षन 100 या 200 रूपये देने पड़ते है। **आधार इनेबल पेमेन्ट सिस्टम (AEPS)** आईडी के इस्तेमाल की वजह से रूपये अन्य स्थानों से निकलना दिखाई पडता है। अंगुठा निषानी का क्लोन तैयार करवाने में पराग को मुनाफे के हिसाब से कभी 500 व कभी 1000 रूपये प्रत्येक के दे देता था।

4– **अभियुक्त पराग** ने पूछताछ पर बताया कि उमर से वह अंगूठा निशानी को अपनी जीमेल आईडी paragmohar@gmail.com पर मंगवा लेता तथा किसी भी साइबर कैफे जाकर उसको साफ करवा कर प्रिंट निकाल निकाल लेता था और लिक्विड व मशीन की सहायता से प्लास्टिक सीट पर पर अंगूठा निशानी का क्लोन तैयार कर उमर को दे देता था जिसके लिए उससे मुझे कभी 500 व कभी 1000 रूपये मिलते थे। आज मैं उमर के साथ यहां इन सभी को यह कार्य सिखलाने ही आया था।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :–</u>

1–निरीक्षक श्री नोवेन्द्र सिहं सिरोही **(प्रभारी कोतवाली बागपत)**
2–व0उप0निरी0 प्रदीप षर्मा
3–का0 402 विषाल पूनिया
4–उप0निरी0 नितिन पाण्डेय **(प्रभारी साईबर/सर्विलांस टीम)**
5–का0 631 रक्षित कुमार
6–का0 464 ललित मोरल

➢ **थाना बड़ौत पुलिस द्वारा बाद मुठभेड 03 वांछित अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर मय कारतूस व एक मोटर साईकिल बरामद ।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

1–कपिल वर्मा पुत्र कुशल पाल निवासी कोताना रोड़ थाना बड़ौत जनपद बागपत (हाल निवासी ग्राम सैनी थाना इंचौली जनपद मेरठ)।

2–रविन्द्र कश्यप पुत्र शिवचरण कश्यप निवासी ग्राम मलकपुर लोयन पट्टी नवादा थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

3–सावेज पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला पठानकोट कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण –

1–02 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साईकिल हीरो पैशन प्रो नम्बर बिना नम्बर ।

गिरफ्तार अभियुक्त कपिल वर्मा का अपराधिक इतिहास :–

1–मु0अ0स0 196/15 धारा 414,420 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना बडौत।

2–मु0अ0स0 251/16 धारा 147,148,149,302 भादवि थाना दोघट।

3–मु0अ0स0 906/16 धारा 411,414,420 भादवि थाना बडौत ।

4.–मु0अ0स0 907/16 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना बडौत ।

5–मु0अ0स0 905/16 धारा 379,411,420 भादवि थाना बडौत ।

6–मु0अ0स0 395/16 धारा 504,506 भादवि थाना दोघट ।

7–मु0अ0स0 47/17 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना दोघट ।

8 मु0अ0स0 170/15 धारा 379,411,420 भादवि थाना बडौत ।

9–मु0अ0स0 19915 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना बागपत ।

10–मु0अ0स0 944/20 धारा 307 भादवि थाना बडौत ।

अभियुक्त रविन्द्र कश्यप का अपराधिक इतिहास :–

1–मु0अ0स0 429/12 धारा 364,302,201 भादवि थाना बडौत ।

2–मु0अ0स0 944/20 धारा 307 भादवि थाना बडौत ।

अभियुक्त सावेज का अपराधिक इतिहास :–

1–मु0अ0स0 899/19 धारा 307,323,498ए,506 भादवि थाना बडौत ।

2–मु0अ0स0 73/16 धारा 147,323,506 भादवि थाना बडौत ।

3–मु0अ0स0 944/20 धारा 307 भादवि थाना बडौत

घटना का संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

थाना बड़ौत पुलिस द्वारा आज दिनांक 06.11.2020 को समय करीब 12:45 बजे चैकिंग के दौरान ढिकाना–कोताना मार्ग पर आम के बाग के पास से बाद मुठभेढ़ 03 वांछित अभियुक्त 1–कपिल वर्मा पुत्र कुशल पाल निवासी कोताना रोड़ थाना बड़ौत जनपद बागपत हाल निवासी ग्राम सैनी थाना इंचौली जनपद मेरठ, 2–रविन्द्र कश्यप पुत्र शिवचरण कश्यप निवासी ग्राम मलकपुर लोयन पट्टी नवादा थाना बड़ौत जनपद बागपत 3–सावेज पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला पठानकोट कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेढ़ के दौरान पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ चलायी गई गोली से अभियुक्त कपिल वर्मा व रविन्द्र कश्यप उपरोक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गये। जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण कपिल वर्मा व रविन्द्र कश्यप उपरोक्त द्वारा कल दिनांक 05.11.2020 को सिराजुद्दीन पुत्र मईनुद्दीन निवासी पुरलिया थाना सरधना जनपद मेरठ को गोली मारकर घायल करने की वारदात में शामिल थे। अभियुक्त कपिल वर्मा उपरोक्त हत्या व लूट के लगभग 09

मुकदमों में जनपद बागपत से वांछित चल रहा था। शेष अभियुक्तगण 02—02 मुकदमों में वांछित चल रहे थे।

➢ **थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना रमाला—पुलिस द्वारा रमाला बस स्टैण्ड से दिनांक 06.11.2020 को मु0अ0स0 202/2020 धारा 279,338,304ए,427 भादवि में वांछित अभियुक्त नसीम पुत्र हसन निवासी ग्राम कुन्ढला कलां थाना गंगोह सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया।